



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 451 राँची, मंगलवार,

22 सितम्बर, 2020 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2020

अधि.संख्या-8/गठन/147/2017/न.वि.आ.-2319-- विभागीय अधिसूचना संख्या-4561, दिनांक-07.09.2018 द्वारा बोकारो जिला अन्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 राजस्व ग्रामों को मिलाकर विधिवत् गोमिया नगर परिषद वर्ग 'ख' का गठन किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-4922, दिनांक-05.10.2018 द्वारा मानक जनसंख्या के आधार पर 21 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की संख्या का अवधारण किया गया है।

2. कालान्तर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, क्षेत्र के 08 मुखियागण एवं अन्य ग्रामीणों से गोमिया नगर परिषद के गठन के संबंध में यह आपत्ति प्राप्त हुई है कि परिषद् क्षेत्र में शामिल सम्पूर्ण क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का है तथा अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य पर जीवनयापन करती है। दैनिक एवं दिहाड़ी मजदूर प्रायः काम की तलाश में अन्य क्षेत्रों में पलायन करते हैं, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद् के गठन होने पर जनता विभिन्न कर के बोझ से दब जाएगी।

3. उक्त आपत्तियों पर उपायुक्त, बोकारो से मंतव्य की मांग की गई। उपायुक्त बोकारो के पत्रांक-724/प., दिनांक-21.08.2020 द्वारा गोमिया नगर परिषद के विघटन की अनुशंसा की गई है। उक्त

अनुशंसा पर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् गोमिया के द्वारा पत्रांक-41, दिनांक-01.09.2020 के माध्यम से सहमति व्यक्त की गई है।

4. उक्त आलोक में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-9 (6) के परन्तुक के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड के राज्यपाल बोकारो जिला अन्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 राजस्व ग्राम यथा-गोमिया, पलिहारी गुरुडीह, ससबेड़ा, खम्हरा, स्वांग, पिपराडीह, हजारी एवं खुदगड़ा को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या-4561 दिनांक-07.09.2018 द्वारा गठित गोमिया नगर परिषद् वर्ग 'ख' को विघटित करने संबंधी प्रारूप आदेश निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर गोमिया नगर परिषद् वर्ग- 'ख' के विघटन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, बोकारो के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, बोकारो के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-9 (6) के अधीन उपायुक्त, बोकारो द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-07, 2012) की धारा-9 (6) परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बोकारो जिला के अन्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 राजस्व ग्राम यथा-गोमिया, पलिहारी गुरुडीह, ससबेड़ा, खम्हरा, स्वांग, पिपराडीह, हजारी एवं खुदगड़ा को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या-4561 दिनांक-07.09.2018 द्वारा गठित गोमिया नगर परिषद् वर्ग 'ख' को विघटित करते हैं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
